<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–107/2022</u>

अमिरका महतो.....वादी

बनाम

ओम प्रकार महतो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
11.10.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 24.11.2022 के सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। वादी की ओर से दिनांक 24.11.2022 को आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत निषेधाज्ञा आवेदन दिया गया है। **<u>आदेश (ORDER)</u>** वादी के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 24.11.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा वादपत्र के अनुसूची–01 में वर्णित भूमि पर अपने अधिकार एवं स्वत्व की घोषणा एवं कब्जें की सम्पूष्टि हेतु तथा अनुसूची–02 में वर्णित भूमि पर कब्जें की प्राप्ति हेतु एवं अनुसूची–03 में वर्णित भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दाखिल किया है। समन तामिला के बाद प्रतिवादीगण जानबुझकर उपस्थित नही हो रहे है। प्रतिवादी सं0–01 ता 04 की माता जोखनी देवी ने एक जाली फरेबी कपटपूर्ण बक्खशीशनामा दिनांक 09.03.1990 को प्रसाद महतो द्वारा निष्पादित किया गया था परंतु जब प्रसाद महतो को कथित बक्खशीशनामा के बारे में पता चला तो उन्होंने स्वत्व वाद सं0–66/1992 दाखिल किया तथा सुनवाई के बाद वादी के पक्ष में वाद डिक्री किया गया। प्रसाद महतो ने वादी की सेवाओं से प्रसन्न होकर वादपत्र की अनुसूची 01 के संबंध में दिनांक 08.11.1996 को एक रजिस्टर्ड बक्खशीशनामा दस्तावेज निष्पादित किया और वादी के पक्ष में दखल कब्जा दे दिया। प्रतिवादी ने वादपत्र की अनुसूची 02 में वर्णित भूमि से वादी को बलपूर्वक बेदखल कर दिया तथा अनुसूची 03 वाली भूमि वादी के कब्जें में रही। प्रतिवादी काफी मजबुत इरादों वाले व्यक्ति है जो वादपत्र की अनुसूची 03	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–107/2022

अमिरका महतो.....वादी

बनाम

ओम प्रकार महतो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 11.10.2023	में वर्णित भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे है और प्रतिवादियों द्वारा लगातार धमकी के कारण वादी को अनुसूची 03 में वर्णित भूमि से बेदखल होने की प्रबल संभावना है। वादपत्र के कथनों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है तथा सुविधा की तुला भी वादी के पक्ष में है तथा यदि प्रतिवादियों को रोका नही गया तो अनुसूची 03 की भूमि से वादी को बेदखल कर देगें। जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वाद के अंतिम निपटारे तक अनुसूची 03 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगणों को हस्तक्षेप करने से निषेधाज्ञा आवेदन द्वारा रोका जाय। प्रतिवादी सं0–01 की ओर से दिनांक 26.07.2023 को वादी के निषेधाज्ञा आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया जिसमें वादी का आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से खारिज योग्य बताया गया तथा कहा गया कि वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि से संबंधित पूर्व में भी एक मुकदमा सं0–171/2004 दाखिल किया गया था जो वर्ष 2009 में खारिज हो चुका है तथा अब पुनः 12 वर्षो बाद उसी बक्ख्शीशनामा वाली भूमि के निस्वत वाद लाये है जो काल बाधित है। वादी एक गलत बक्ख्शीशनामा दिनांक 08.11.1996 के आधार पर गलत दावा करते है। जोखनी देवी की अनुपस्थिति में प्रसाद महतो को डरा धमकाकर जोखनी देवी तथा इनर महतो के खिलाफ एक स्वत्व वाद सं0–66/1992 श्रीमान् मुंसिफ बगहा के न्यायालय में दाखिल करके इनर महतो एवं जोखनी देवी के अनुपस्थिति में बक्ख्शीशनामा दिनांक 09.03.1990 को निरस्त करा दिया। जिसकी जानकारी होने पर जोखनी देवी एवं इनर महतो ने स्वत्व अपील सं0–89/1996 श्रीमान् जिला जज बेतिया के यहाँ दाखिल किया। स्वत्व अपील सं0–89/1996	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–107/2022

अमिरका महतो.....वादी

बनाम

ओम प्रकार महतो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 11.10.2023	में सुलहनामा दिनांक 09.03.2015 के आधार पर श्रीमान् चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश बेतिया के द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.05.2015 से अपील को स्वीकार करते हुए श्रीमान् मुंसिफ बगहा के द्वारा स्वत्व वाद सं0–66/1992 में पारित आदेश को खंडित कर दिया तथा प्रसाद महतो के द्वारा जोखनी देवी के पक्ष में लिखे गये बक्खशीशनामा को सही करार दिया तथा प्रतिवादीगण बक्खशीशनामा वाली भूमि में दखल कब्जें में है। वादी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया वाद नही है। सुविधा की तुला भी वादी के पक्ष में नही है तथा निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किये जाने से वादी को कोई अपूर्णीय क्षति नही है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा वादपत्र के अनुसूची–01 में वर्णित भूमि पर अपने अधिकार एवं स्वत्व की घोषणा एवं कब्जें की सम्पूष्टि हेतु तथा अनुसूची–02 में वर्णित भूमि पर कब्जें की प्राप्ति हेतु एवं अनुसूची–03 में वर्णित भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दाखिल किया है। किसी भी निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश करने से पूर्व यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया वाद किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन किस ओर है एवं यदि आवेदक का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार नही किया जाता है तो इससे आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी अथवा नही तथा पक्षकारों का आचरण कैसा है ? वादी के अनुसार प्रसाद महतो के द्वारा वादी के पक्ष में वादी के सेवाओं से प्रसन्न होकर दिनांक 08.11.1996 को वादपत्र की अनुसूची 01 में वर्णित भूमि के संबंध में एक पंजीकृत बक्खशीशनामा विलेख निष्पादित किया गया तथा वादी के पक्ष में कब्जा दे दिया गया। जबकि प्रतिवादी सं0–01 ता 04 की माता जोखनी देवी के पक्ष में प्रसाद	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–107/2022</u>

अमिरका महतो.....वादी

बनाम

ओम प्रकार महतो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 11.10.2023	महतो के द्वारा दिनांक 09.03.1990 को एक बक्खशीशनामा निष्पादित किया गया तथा प्रतिवादीगणों को वादग्रस्त भूमि पर दखल कब्जा प्राप्त हुआ। अतः उभय पक्षों द्वारा बक्खशीशनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अपना–अपना दखल कब्जा बताया जा रहा है। प्रतिवादीगणों का बक्खशीशनामा वादी के बक्खशीशनामा से पूर्व का है। कौन बक्खशीशनामा गलत है तथा कौन बक्खशीशनामा सही है इसे गुण–दोष के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है। अतः प्रथम दृष्टया वाद वादी की ओर जाता हुआ प्रतीत नही होता है। प्रतिवादीगणों का वादी द्वारा अनुसूची 02 वाली भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया गया है। अत ः सुविधा की तुला भी वादी की ओर जाती हुई प्रतीत नही होती है। अतः वादी के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन को अस्वीकार किये जाने से वादी को अपूर्णीय क्षति होना भी दर्शित नही होता है। अतः वादी का निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 24.11.2022 को खारिज किया जाता है। उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अंतिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नही करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन हेतु न्यायालय का सहयोग करें। वाद दिनांक 07.11.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	